ग्राम पंचायत मन्दल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016 तक
भाग–1

1 **(क) प्रस्तावना :–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, गग्रम पंचायत मन्दल़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिच कार्यरत थे:–

प्रधान :–

क0	नाम	अवधि
1	श्री रणजीत सिंह	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्रीमति उषा रानी	23/01/2016 से 31/03/2016

सचिव :–

क0	नाम	अवधि
1	श्री करतार चन्द	01/04/2013 से 26/09/2013
2	श्री राम कृष्ण	27/9/2013 से 14/02/2014
3	श्री कृष्ण नन्द	15/2/2014 से 20/03/2014
4	श्री राम कृष्ण	21/03/2014 से 02/03/2015
5	श्री बलविन्द्र कुमार	03/03/2015 से 31/03/2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत मन्दल़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

कम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि(लाखों में)
1	5.3	खाता ख में अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित न करना	1.14
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.26
3	9	अनुदान राशि का अवरोधन	14.20
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करने बारे	2.17
	11	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	विवरण पैरे में

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मन्दल़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31/10/2016 से 05/11/2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 01/14, 01/15 व 02/16 तथा व्यय के लिए माह 03/2014, 10/2014, व 08/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत मन्दल़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 13 दिनांक 16/11/2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मन्दल़ से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति** :– ग्राम पंचायत मन्दल़ विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :'

4.1 **स्व स्त्रोत व अनुदान** :– ग्राम पंचायत मन्दल़ के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

स्व स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	85101.00	46569.00	131670.00	18254.00	113416.00
2014–15	113416.00	31284.00	144700.00	100485.00	44215.00
2015–16	44215.00	3809.00	48024.00	17814.00	30210.00

<u>अनुदान</u>

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	568667.00	3866911.00	39358.00	4474936.00	3871728.00	603208.00
2014—15	603208.00	2384196.00	37664.00	3025068.00	1796664.00	1228404.00
2015—16	1228404.00	3633575.00	37122.00	4899101.00	3479252.00	1419849.00

<u>दिनांक 31.3.16 को स्वः स्त्रोत व अनुदान का कुल योग ₹1450059</u>

<u>दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण</u> :—

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के0सी0सी0 बैंक बगली	50052652997	11083.00
2	के0सी0सी0 बैंक बगली	50052652953	1900.00
3	के0सी0सी0 बैंक बगली	50052652942	38616.00
4	के0सी0सी0 बैंक बगली	20097030498	110137.00
5	के0सी0सी0 बैंक बगली	50052653037	694336.00
6	के0सी0सी0 बैंक बगली	50053331697	263561.00
7	के0सी0सी0 बैंक बगली	50052653060	225980.00
8	के0सी0सी0 बैंक बगली	50052653015	42.00
9	के0सी0सी0 बैंक बगली	50052652919	92264.00
10	के0सी0सी0 बैंक बगली	50052653048	11374.00
		योग :	1449193.00
		हस्तगत राशि	866.00
		कुल योग :	**1450059.00**

5 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः—

5.1 रोकड़ बही का लेखाकंन नियमानुसार न करनाः—

ग्राम पंचायत मन्दल की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत मन्दल के लेखों की जांच में रोकड़ बही में निम्न विसंगतियां पाई गई हैंः—

(क):— रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष का मिलान अपेक्षित है तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। अतः ग्राम पंचायत मन्दल की रोकड़ बहियों के रख रखाव व उक्त नियमों के विपरीत रोकड़ बही का मिलान न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 **नियमो के विरूद्ध दस बैंक बचत खातों का खोला जाना** :– हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत मन्दल में दो के स्थान पर पैरा 4(1) में वर्णित दस बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.3 **खाता 'ख' में अर्जित ब्याज ₹1.14 लाख को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना**:– हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मन्दल के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹114144/– खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज
2013–14	39358.00
2014–15	37664.00
2015–16	37122.00
कुल योग	**114144.00**

5.4 **वर्गीकृत सार (Classified abstract) को तैयार न करना:–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित

रखा जाना है। ग्राम पंचायत मन्दल द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेशः–

ग्राम पंचायत मन्दल द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा योजना (Fixed Deposit) में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं करवाया गया है जिसके कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.26 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

ग्राम पंचायत मन्दल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹26145 की वसूली शेष थी।

गृहकर :–

क0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	अन्तशेष
1	2013–14	––	13750.00	13750.00	13475.00	275.00
2	2014–15	275.00	13750.00	14025.00	60.00	13965.00
3	2015–16	13965.00	13750.00	27715.00	1570.00	26145.00

शराब शुल्क :– वर्ष 2015–16 के दौरान शराब शुल्क प्राप्त ही नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट कर वसूली सुनिश्चित की जाए।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान ₹14.20 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1419849/– उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹2.17 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹217217/– का क्रय/व्यय **(परिशिष्ट–2)** निविदा सम्बन्धी औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही खरीद करना सुनिश्चित की जाये।

11 क्रय किये गये सीमेंट का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारे :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान निम्नविवरणानुसार क्रय कये गये सीमेंट को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सीमेंट को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जायेः–

क्र0सं0	बिल संख्या	दिनांक	वाउचर संख्या	क्रय की गई मात्रा	टिप्पणी
1	004	25.06.2014	97	82 बैग	25 प्रति बैग की दर से किराया भुगतान
2	009	25.09.2014	98	50 बैग	25 प्रति बैग की दर से किराया भुगतान
3	003	25.06.2014	99	90 बैग	25प्रति बैग की दर से किराया भुगतान
4	007	25.06.2014	100	75 बैग	25 प्रति बैग की दर से किराया भुगतान
5	001	24.06.2014	101	82 बैग	25प्रति बैग की दर से किराया भुगतान
6	005	22.06.2014	102	84 बैग	25 प्रति बैग की दर से किराया भुगतान
7	002	26.06.2014	108	82 बैग	25 प्रति बैग की दर से किराया भुगतान
8	010	27.07.2014	109	90 बैग	25प्रति बैग की दर से किराया भुगतान

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख–रखाब नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये ।

क्रम सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल–अचल सम्पति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर
5	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7	स्टॉक रजिस्टर
8	विकास निष्पादन रजिस्टर
9	पेशगी रजिस्टर

14 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बघित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

15 **लघु आपत्ति विवरणिका :–**यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

16 **निष्कर्षः–**लेखों के रख–रखाब व नियमों की अनुपालना में उचित सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 65/2016–खण्ड–1–1067–1070 दिनाँकः 16.02. 2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत मन्दल, विकास खण्ड धर्मशाला तहसील धर्मशाला जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

ग्राम पंचायत मन्दल

परिशिष्ट–2 (पैरा 10 मे ंवर्णित)

क0	वाउचर संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	मूल्य
1	253–259	29.03.2014	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	सीमेंट किराया	12000.00
2	260–263	29.03.2014	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	सामग्री की खरीद व किराया	33947.00
3	264–268	29.03.2014	प्यार सिंह सुपुत्र श्री भगत राम	कट स्टोन व क्रशर की खरीद	30250.00
4	269–272	29.03.2014	गोपाल सिंह सुपुत्र श्री जगन्ननाथ	शटरिंग	27000.00
5	273–276	29.03.2014	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	कट स्टोन, लोकल बजरी व क्रशर की खरीद	32740.00
6	277–279	29.03.2014	प्यार सिंह सुपुत्र श्री भगत राम	क्रशर की खरीद	10000.00
7	279–280	29.03.2014	विधि सिंह सुपुत्र श्री नवरात्रु राम	लोकल बजरी व अन्य निर्माण की खरीद	11040.00
8	281	29.03.2014	गोपाल सिंह सुपुत्र श्री जगन्ननाथ	शटरिंग	7500.00
9	282–283	29.03.2014	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	लोकल बजरी	11040.00
10	284	29.03.2014	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	शटरिंग	7500.00
11	286	29.03.2014	अनिल सुपुत्र श्री दर्शन राम	शटरिंग	7500.00
12	97	25.08.2015	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	रेत बजरी किराया 22 फेरे	6600.00
13	105	25.08.2015	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	रेत बजरी किराया 25 फेरे	7500.00
14	101	25.08.2015	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	रेत बजरी किराया 23 फेरे	6600.00
15	102	25.08.2015	मनमिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोती राम	रेत बजरी किराया 20 फेरे	6000.00
				कुल योग :	**217217.00**